झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में

सी.एम.पी. संख्या 439/2019

उगनी देवी

--- याचिकाकर्ता

बनाम

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची और अन्य।

--- उत्तरदातागण।

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन।

माध्यम : वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री गौतम कु. सिंह, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं की ओर से : श्री चंद्रजीत मुखर्जी, अधिवक्ता।

03/17.12.2021: यह याचिका डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 3822 /2018 की पुनर्बहाली के लिए दायर की गई है, जिसे दिनांक 24.01.2019 के आदेश का पालन न करने के कारण खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने निवेदन किया कि वे डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 3822 /2018 में न्यायालय द्वारा दी गई समयावधि के भीतर रजिस्ट्री द्वारा बताए गए दोषों को दूर नहीं कर सके। वे बिना शर्त माफी मांगते है।

उपरोक्त निवेदन को ध्यान में रखते हुए, याचिका में की गई प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

फलस्वरूप, तीन सप्ताह के भीतर रिट याचिका में रजिस्ट्री द्वारा बताए गए दोष को दूर करने का निर्देश देते हुए डब्ल्यूपी (एस) संख्या 3822/2018 को उसकी मूल फाइल में बहाल किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया.)

अनु/-सीपी 2.